राजस्थान सरकार वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव जैसलमेर

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/उवसंवजीजै/2023–24/4484 दिनांकः– 18.12.2023

–: कार्यालय आदेशः–

संयुक्त शासन सचिव वन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.12(वन)2018 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 4.10.2022 एवं दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6( )2022/कार्मिक–विविध/प्रमुवस/1059–75 दिनांक 26.04.2023 की अनुपालना में इस मण्डल कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) जैसलमेर के लिये 01 नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा सहायक) के नवसृजित रिक्त पदों पर आवश्यक अस्थायी आधार पर 01 पशुधन सहायक की नियत पारिश्रमिक पर राशि रूपए 17700/– प्रतिमाह की दर से तीन माह के लिए नियुक्ति हेतु चयन बाबत् जिला स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित चयन समिति की अनुशंषा अनुसार निम्नलिखित प्रत्याशी को पशुधन सहायक के रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक के आधार पर राशि रूपये 17700/–(अक्षरे रूप्ये सत्रह हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह पर उनके कार्यग्रहण तिथि से तीन माह तक के लिए पशुधन सहायक का कार्य करने हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से लगाया जाता है।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कार्यस्थल का नाम
1	श्री दिनेश नागर	नरेन्द्र नागर	21.05.1999	कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव जैसलमेर

समेकित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि अवकाश (आकस्मिक अवकाश के अलावा) तथा वरिष्ठता आदि देय नहीं होगी तथा इनके समेकित पारिश्रमिक मे से जीपीएफ/सीपीएफ राज्य बीमा आदि की कटौती नहीं की जाएगी। कार्यस्थल पर कार्यभार संभालने हेतु कोई यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा।

यह आदेश जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 3484 दिनांक 24.08.2023 द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंषा में जारी किये गये है। अभ्यर्थी का जिस जिले में चयन किया गया है उस जिले से अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, अभ्यर्थी राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के हकदार नहीं रहेगा।

चयनित अभ्यर्थी उप वन संरक्षक वन्यजीव जैसलमेर में जॉइनिंग के समय प्रार्थी द्वारा कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र 04.10.2013 के अनुसरण मे धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का वचन बद्वता कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2013 के अनुसार विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण की सूचना/दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र तथा नियुक्ति के संबंध में आवश्यक शर्तो के संबंध में राशि रू 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प व एवं नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाना सुनिश्चित करें।

चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक की 05 दिवस की अवधि में अपने पदस्थापन वनमण्डल उप वन संरक्षक वन्यजीव जैसलमेर पर उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व अन्य जानकारी में भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

RajKaj Ref
5198962

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 17:10:05 IST
Reason: Approved

(डा आशीष व्यास)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव जैसलमेर

क्रमांक एफ ( )कार्मिक/उवसंवजीजै/2023–24/ 4485–4494 दिनांकः– 18.12.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, पशुपालन विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर।
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर।
6. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर।
7. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) को विभागीय वेबसाईट http://forest.rajasthan.gov.in पर प्रकाशन हेतु।
8. कोषाधिकारी, जैसलमेर
9. श्री दिनेश नागर
10. रक्षित पत्रावली।

उप वन संरक्षक
वन्यजीव जैसलमेर

RajKaj Ref
5198962

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 17:10:05 IST
Reason: Approved